

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेसा कालोनी भोपाल

क्रमांक / ५७७६

/ स्था. / नगरानि / 2018

भोपाल, दिनांक ।—/०—/८

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ ७-०१/२०१६/१८-५, भोपाल दिनांक १९.०९.२०१८ द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा समूह-४ के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा २०१६ के तारतम्य में उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर चयनित निम्न अभियार्थी, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्टोरकीपर के पद पर वेतनमान level 5 pay matrix 22100-70000 पर मूल वेतन 22100/- पर शासन के नियमानुसार अन्य स्वीकृत देय भत्तों पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	नाम/पिता/पति का नाम	लिंग	चयन वर्ग	सूची गृह जिला	स्थान जहा पदस्थ किया जाता है
1	श्री रोहित पटेल पिता श्री सुरेश पटेल	पुरुष	सामान्य	सीहौर	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मुख्यालय भोपाल
2.	शिल्पा डेहरिया पिता श्री रोजेन्द्र कुमार डेहरिया	महिला	(महिला) अनुसूचित जाति	छिन्दवाड़ा	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर

- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-३-१५/२०१२/१/३ दिनांक २४ नवम्बर, २०१२ के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सर्वानुसार जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी"।
- नियमित कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप)
- बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
- बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेंगी।

6. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-९/३/२००३/नियम/चार, भोपाल, दिनांक १३.४.२००५ द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक ०१.०१.२००५ के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १९७६ लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से १५ दिवस की समयसीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपरिथिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट कमानुसार किया जावेगा।
10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेगे।
12. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करते समय संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वारक्ष्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वारक्ष्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक / मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि करा के प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण हेतु संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
15. अभ्यार्थी का परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में स्थानानंतरण नहीं किया जावेगा एवं अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक। १०/४
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री रोहित पटेल, आत्मज श्री सुरेश पटेल, 139, अलकापुरी कालोनी, मुसाखेडी, इन्दौर म.प्र. 452001 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. शिल्पा डेहरिया, पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार डेहरिया एस-11, बी ब्लाक सत्यमेव जयते अपार्टमेंट तहसीली चौक, जबलपुर म.प्र. 482003 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. व्यक्तिगत नस्ती।
6. रोस्टर लिपिक।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

dc